न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 51/2024
सीआईएस नंबर : 51/2024
CNR : RJBA010003702024

01. माणकचंद पुत्र राणाराम, उम्र 48 वर्ष,
02. जमनादेवी पत्नी माणकचंद, उम्र 48 वर्ष,
निवासियान शास्त्री कॉलोनी, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

––प्रार्थीगण

बनाम

01. पारसराम पुत्र बाबूराम, उम्र 44 वर्ष, निवासी पंवारों का बेरा, पुलिस थाना बालेसर, जिला जोधपुर ।
(चालक व मालिक ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924)
02. युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टी.पी. हब, द्वितीय मंजिल, भाटी–एन–प्लाजा, मैन पाल रोड़, जोधपुर ।
(बीमा कंपनी ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988

उपस्थितः–
01. श्री दिलीप नाहर, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से ।
02. श्री प्रदीपसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ।
03. श्री लाधूराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

– निर्णय –

दिनांकः 06.07.2026

1. प्रार्थीगण माणकचंद वगैरह् ने यह क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164 के तहत नाबालिग पारस पंवार की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 09.02.2024 को पेश किया । तदुपरांत प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर क्लेम प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2026 को धारा 166 एमवी एक्ट में परिवर्तित किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 को मृतक पारस पंवार साईकिल लेकर घर से सब्जी मण्डी की तरफ जा रहा था । न्यू सब्जी मण्डी मूंगड़ा रोड़ के आगे वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 के चालक पारसराम द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर साईकिल के पीछे से टक्कर मारी जिससे पारस नीचे गिर गया व मौके पर ही मृत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बालोतरा में पेश की गई जिस पर प्रकरण सीआर नं. 220/2023 अंतर्गत धारा 279 व 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 पारसराम द्वारा ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए, उसके विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया । प्रार्थीगण ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में माफिक क्लेम याचिका मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया परन्तु स्वयं मृतक पारस पंवार की लापरवाही से दुर्घटना कारित होने का अभिवाक किया तथा यह कथन किया है कि वह तेज गति व लापरवाही से ट्रक नहीं चला रहा था । विकल्प में यह भी निवेदन किया कि यदि माननीय अधिकरण एवार्ड राशि पारित करना उचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 01 का वाहन अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से एवार्ड बीमा कंपनी के विरुद्ध जारी फरमाया जाए एवं अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र नियम समयावधि में पेश नहीं किया गया है । दुर्घटना घटित होने के छः माह की अवधि में क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आज्ञापक प्रावधान है । दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 को घटित होने के छः माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व

अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध दिनांक 21.11.2023 को चालान प्रस्तुत किया जा चुका था । प्रार्थीगण द्वारा देरीना नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया । प्रार्थीगण ने, क्लेम प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.11.2023 को चालान प्रस्तुत होने एवं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ दिनांक 10.01.2024 को प्राप्त होने से छः माह के भीतर प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है । मोटरयान अधिनियम के अधीन राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 का नियम 10.2 का 4 के अनुसार संबंधित थाने से दुर्घटना से संबंधित कागजात लेकर चालान पेश करने से पूर्व भी अनवान क्लेम प्रस्तुत किया जा सकता था, परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा न तो संबंधित थाने से दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज लाने का प्रयास किया न ही क्लेम छः माह की समयावधि में प्रसतुत किया गया है, केवल चालान की नकलें प्राप्त होने के बाद छः माह की अवधि का म्याद के बिन्दु पर लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है न परिसीमा अवधि को माफ करने का उचित कारण चालान का इंतजार करना कानून द्वारा परिसीमा अवधि में विस्तार कर सकता है एवं चालान प्रस्तुत होना क्लेम प्रस्तुत करने हेतु कानून की अनिवार्यता नहीं है । प्रार्थीगण के द्वारा संबंधित थाने से दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज लाने का प्रयास नहीं किया गया तथा न ही क्लेम प्रार्थना पत्र निर्धारित छः माह की समयावधि में प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में परिसीमा अवधि की देरी को माफ करने का उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं होने से डिले कण्डोन नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के विरुद्ध खारिज करने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:—

01. आया दिनांक 30.05.2023 को किसी समय सरहद मौजा न्यू सब्जी मण्डी मूंगड़ा रोड़ के आगे अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पारस की साईकिल के टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप पारस नीचे गिर गया व मौके पर ही मृत्यु

हो गई ?

– प्रार्थीगण

02. आया प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 6,00,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

– प्रार्थीगण

03. आया अप्रार्थी संख्या 02 के जवाब के "विशेष आपत्तियाँ" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है ?

– अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी

04. अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर अपने पक्ष के समर्थन में ए.डब्ल्यू. 01 माणकचंद व ए.डब्ल्यू. 02 जेठाराम को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में, दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 34 प्रदर्शित करवाये गये ।

7. अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

8. बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए साईकिल पर जा रहे पारस पंवार के पीछे से टक्कर मारने के कारण घटित होना एवं दुर्घटना में कारित चोटों के परिणामस्वरूप पारस पंवार की मृत्यु होना साबित है । यह भी तर्क दिया कि मृत्यु के समय पारस पंवार की आयु 14 वर्ष एवं सातवीं कक्षा में अध्ययनरत् था, जिसकी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हितेश नागजीभाई पटेल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सीता कुमार के निर्णयों में प्रतिपादित अभिमत अनुसार कुशल श्रमिक की आय मानते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जाये ।

9. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना स्वयं मृतक की गलती से कारित हुई है वह उसका वाहन तेज गति व लापरवाही से नहीं चला रहा था तथा स्वयं की गलती से हुई दुर्घटना के लिए अप्रार्थी क्लेम अदायगी हेतु जिम्मेदार

नहीं है । विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि माननीय अधिकरण किसी कदर क्षतिपूर्ति अदा करना उचित समझे तो वक्त दुर्घटना वाहन अप्रार्थी संख्या 02 के पास बीमित होने से क्लेम अदायगी का दायित्व अप्रार्थी संख्या 02 का होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

10. अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने दुर्घटना के तथ्य को विवादित नहीं करते हुए यह तर्क दिया कि क्लेम प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है । यह भी तर्क दिया है कि मृतक वक्त घटना पढ़ाई करता था जिसकी कोई आय नहीं थी एवं नाबालिग पुत्र पर उसके माता–पिता को आश्रित होना नहीं माना जा सकता है । अतः प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्ति के अधिकारी नहीं होना बताते हुए क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

11. विकल्प में यह भी तर्क दिया है कि यदि माननीय अधिकरण किसी कदर प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति दिलाना उचित माने तो क्लेम प्रार्थना पत्र धारा 166 में परिवर्तित करने की दिनांक से ब्याज दिलाया जाए ।

12. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना । पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

13. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है । प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 01 माणकचंद ने उसके शपथ पत्र में क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार दुर्घटना होना कथन किया है । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 से 26 प्रदर्शित करवाए गए हैं । अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि वक्त दुर्घटना वह वहाँ नहीं था । उसे मंडी वालों ने फोन कर दुर्घटना की सूचना दी थी सूचना देने वाले का नाम उसे पता नहीं है ।

14. ए.डब्ल्यू. 02 जेठाराम चश्मदीद गवाह होना बताया गया है, का कथन है कि दिनांक 30.05.2023 को दोपहर करीब 12.00 बजे पारस पंवार साईकिल लेकर घर से सब्जी मण्डी की तरफ जा रहा था तथा जैसे ही न्यू सब्जी मण्डी मूंगड़ा रोड़ के आगे पहुँचा तो वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 के चालक पारसराम द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर साईकिल के पीछे से

टक्कर मारी जिससे पारस पंवार नीचे गिर गया व मौके पर ही मृत्यु हो गई । उसने व पुखराज माली ने घटना देखी थी । वक्त घटना ट्रक चालक, ट्रक मौके पर छोड़कर भाग गया था । अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि वह दुर्घटना होने के बाद मौके पर पहुँचा हो अजखुद कहा कि वह वहीं था । पारस साईकिल पर अकेला जा रहा था । सब्जी मंडी से मूंगड़ा की तरफ दुर्घटना हुई थी । सब्जी मंडी के मैन गेट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर दुर्घटना हुई थी । इस कथन को सही बताया है कि वह ट्रक के पूरे नंबर नहीं बता सकता अजखुद कहा कि 1924 नंबर थे । बालोतरा से मूंगड़ा जाने वाली रोड़ पर लेफ्ट साइड में एक्सीडेंट हुआ था । रोड़, उसके अंदाज से लगभग 50 फीट चौड़ी थी । इस कथन को गलत बताया है कि वह सब्जी मंडी के अंदर हो । उसने गणपत को मोबाइल से इत्तला दी थी । मोबाइल नंबर उसे मुखजुबानी याद नहीं है । इस कथन को गलत बताया है कि पारस उसका रिश्तेदार हो । दुर्घटना से पहले भी वह पारस को जानता था अजखुद कहा कि पारस के पिताजी मंडी में काम करते थे तब उनके पिताजी को जानता था पारस को नहीं जानता था । इस कथन को गलत बताया है कि पारस अचानक ट्रक के सामने आया हो जिससे दुर्घटना हुई हो । ट्रक के लेफ्ट साइड का हिस्सा साईकिल से टकराया था । इस कथन को सही बताया है कि घटनास्थल पर बारिश होने से कीचड़ फैला था । इस कथन को गलत बताया है कि कीचड़ पर साईकिल फिसलने से दुर्घटना हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि वह पारस का रिश्तेदार होने से झूँठे बयान दे रहा हो ।

15. प्रार्थीगण ने क्लेम याचिका के साथ दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए हैं, जिसमें मृतक पारस पंवार की फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श 06, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 07, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श 08 व शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 10 हैं जिनके अवलोकन से पारस पंवार की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होने का तथ्य प्रमाणित है । इस तथ्य को अप्रार्थीगण ने विवादित भी नहीं किया है ।

16. गवाह ए.डब्ल्यू. 02 जेठाराम, जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी बताया है, ने ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 के चालक द्वारा ट्रक को तेज गति

एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर साईकिल पर जा रहे पारस पंवार के पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना कथन किया है । इस गवाह की जिरह में ऐसा कोई कथन परिलक्षित नहीं हुआ है, जो गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों से प्रतिकूल हो ।

17. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 04 में घटना दिनांक 30.05.2023 को दोपहर करीब 12.00 बजे की होना बताई है तथा रिपोर्ट उसी दिन 02.29 पीएम पर दर्ज करवाई है । रिपोर्ट भी देरीना दर्ज नहीं करवाई गई है ।

18. प्रार्थीगण की ओर से धारा 133, 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 15 प्रदर्शित करवाया है, जिसमें वाहन ट्रक नंबर आर जे 07 जी सी 1924 के मालिक व चालक पारसराम ने वक्त दुर्घटना उक्त ट्रक पर चालक स्वयं होना बताया है ।

19. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि फौजदारी कार्यवाही के दस्तावेजों से भी होती है एवं पुलिस द्वारा भी बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 पारसराम की दुर्घटना में उपेक्षा व लापरवाही मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित पाया जाता है कि दिनांक 30.05.2023 को दिन में करीब 12.00 बजे सरहद मौजा न्यू सब्जी मण्डी मूंगड़ा रोड़ के आगे अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जी सी 1924 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पारस पंवार की साईकिल के टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप पारस पंवार नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई ।

20. परिणामस्वरूप विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

21. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है । इस संबंध में प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना पत्र में मृतक पारस पंवार की आयु वक्त दुर्घटना 14 वर्ष होना बताया है । प्रार्थीगण ने मृतक की आयु के संबंध में आधार कार्ड प्रदर्श 27 ए प्रदर्शित करवाया है जिसमें जन्मतिथि 25.10.2009 उल्लेखित है जिस अनुसार

दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 को मृतक पारस पंवार की आयु 13 वर्ष 07 माह होना पाया जाता है ।

22. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हितेश नागजी भाई पटेल तथा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सीता कुमार में अभिनिर्धारित अनुसार नाबालिग मृतक की कुशल श्रमिक की आय मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है।

23. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी ने निवेदन किया कि स्वयं प्रार्थी की साक्ष्य से यह साबित है कि मृतक की कोई आय नहीं थी वह उसके पिता पर आश्रित था जिससे प्रार्थीगण को कोई आय की हानि नहीं होना एवं विकल्प में यह भी तर्क दिया है कि यदि माननीय अधिकरण किसी कदर प्रार्थीगण को आय की हानि की मद में प्रतिकर राशि दिलाना उचित समझे तो नाबालिग मृतक की नोशल आय मानते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण करने का निवेदन किया ।

24. न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No. 10278 of 2025 (SC) Hitesh Nagjibhai Patel & Ors. Vs Baba Bhai Nagjibhai Rabari & Anr.** के मामले में 08 वर्षीय नाबालिग हितेश नागजीभाई पटेल को कारित स्थायी निशक्तता के मामले में नाबालिग की कुशल श्रमिक की आय मानते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण किया गया है ।

25. न्यायिक दृष्टांत **C.M. Appeal No. 6045 of 2025 (RHC) Seeta Kumari & Ors. Vs Hardayal & Ors.** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Hitesh Nagjibhai** ***(Supra)*** पर भरोसा किया जिसके पैरा संख्या 15 अनुसारः–

> **"15. For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on**

> the matric of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court's interference, appying well–established principles of law."

26. प्रार्थीगण द्वारा मृतक के शैक्षणिक दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह जाहिर हो सके कि मृतक पढ़ाई में कमजोर, औसत या होशियार हो । मृतक के शैक्षणिक दस्तावेजों के अभाव में उसकी एक अकुशल श्रमिक की आय माना जाना समुचित प्रतीत होता है । दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 की रही है तथा तत्समय प्रवृत्त एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी रुपये 7,410/– थी । इस प्रकार मृतक की मासिक आय दुर्घटना के समय 7,410/–, तदनुसार वार्षिक रुपये 88,920/– निर्धारित की जाती है ।

27. नाबालिग की मृत्यु की दशा में **C.M. Appeal No. 6045 of 2025 (RHC) Seeta Kumari & Ors. Vs Hardayal & Ors.** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 15 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पिटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार नाबालिग मृतक की भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 40% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतक की वार्षिक आय 88,920 + 40% = 1,24,488/– रुपये होती है ।

29. **Seeta Kumari** ***(Supra)*** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नाबालिग मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/2 राशि कटौती की गई है । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 1,24,488/– – 1/2 (62,244) = 62,244/– रुपये तय की जाती है ।

30. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सिविल अपील नंबर**

25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में 15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाए जाने, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

31. इस प्रकार प्रार्थीगण को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतक की आयु	13 वर्ष 07 माह
2.	गुणक	15
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	1,24,488/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/2 कटौती	62,244/–
5.	कुल आय की हानि (62,244 X 15)	9,33,660/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 2) मद में रुपए	96,000/–
	कुल मुआवजा राशि	10,65,660/–

32. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 03</u>

33. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी पर था, किंतु अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर विवाद्यक को साबित नहीं करवाया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में यह बचाव लिया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से काबिले निरस्त है। प्रार्थीगण की ओर से क्लेम

प्रार्थना पत्र के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह जाहिर किया है कि दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 को हुई एवं चालान दिनांक 21.11.2023 को प्रस्तुत किया गया जिससे छः माह की अवधि में क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता एवं चालान प्रस्तुति के उपरांत चालान की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ दिनांक 10.01.2024 को प्राप्त होने पर उससे छः माह की अवधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह जाहिर किया है कि आरोप पत्र प्रस्तुति उपरांत आरोप पत्र की प्रतिलिपियाँ प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थीगण को कानून की जानकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र देरीना पेश करना एवं प्रार्थीगण ने जानबूझकर क्लेम प्रस्तुत करने में देरी नहीं करना बताया है।

34. प्रदर्श 03 आरोप पत्र के अवलोकन से दिनांक 21.11.2023 को अधिनस्थ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बालोतरा की आदेशिका प्रदर्श 01 के अवलोकन से भी आरोप पत्र दिनांक 21.11.2023 को उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना साबित है। प्रार्थीगण ने उन्हें कानून की जानकारी नहीं होने से आरोप पत्र प्रस्तुति उपरांत नकलें प्राप्त होने पर हस्तगत क्लेम याचिका प्रस्तुत करना बताया है जो आरोप पत्र प्रस्तुति दिनांक से करीब 02 माह 20 दिन देरी एवं दुर्घटना दिनांक से करीब 02 माह 09 दिन की देरी से दिनांक 09.02.2024 को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है।

35. एमवी एक्ट की धारा 166 (3) अनुसार यह प्रावधित है कि, क्षतिपूर्ति के लिए कोई आवेदन पत्र विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना घटने के छः माह के अन्दर पेश नहीं किया जाए।

36. हस्तगत प्रकरण की दुर्घटना दिनांक 30.05.2023 को घटित हुई है एवं चालान दिनांक 21.11.2023 को प्रस्तुत किया गया है एवं हस्तगत क्लेम याचिका दिनांक 09.02.2024 को 02 माह 09 दिन की देरी से प्रस्तुत की गई है तथा देरी का कारण प्रार्थीगण ने कानून की जानकारी नहीं होना बताया है एवं चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् नकलें प्राप्त होने पर उनके द्वारा क्लेम याचिका प्रस्तुत करना जाहिर किया है।

37. मोटर यान अधिनियम एक लोक कल्याणकारी और लाभकारी कानून है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को त्वरित तथा उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है । मुआवजे के मामलों की सुनवाई में तकनीकी कमियों जैसे एफआईआर देरी से दर्ज होने एवं कानूनी जानकारी के अभाव में क्लेम याचिका देरी से प्रस्तुत करने आदि तकनीकी कारणों पर अत्यधिक जोर देने के बजाय, उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि पीडित परिवारों की रक्षा हो सके तथा इस कानून की व्याख्या और निर्णय हमेशा प्रभावित या पीडिता व्यक्तियों के पक्ष में होने चाहिए ताकि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे ।

38. भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08.04.2026 की अधिसूचना के मुताबिक धारा 166 एमवी एक्ट के उपखण्ड (3) के पश्चात् संशोधित करते हुए निम्न परन्तुक जोड़ा गया हैः—

> The Motor Vehicles Act, 1988 *(Q)* In section 166, after sub—section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—
>
> "Provided that the Claims Tribunal may entertain an application for compensation after the expirty of the said period of six months from the date of occurrence of the accident, but within a further period not exceeding twelve months, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making an application within such period.".

यद्यपि उपरोक्त संशोधन दिनांक 08.04.2026 को जोड़ा गया है परन्तु यह एक लाभकारी प्रावधान है जिससे मेरे विनम्र मत में लाभाकरी प्रावधान का लाभ पूर्व में प्रस्तुत क्लेम याचिकाओं के लिए भी विचार में लिया जाना चाहिए ।

39. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थीगण द्वारा कानूनी जानकारी के अभाव में चालान प्रस्तुति के पश्चात् चालान की प्रतिलिपियाँ प्राप्त होने के उपरांत

हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उनके द्वारा जानबूझकर क्लेम याचिका देरीना प्रस्तुत करने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलम्ब का कारण उचित प्रतीत होता है एवं उनके द्वारा क्लेम प्रार्थना प्रस्तुति में हुई देरी कण्डोन की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

40. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध एवं प्रार्थीगण पक्ष में तय किये जाते हैं ।

अनुतोष

41. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किये गये हैं जिससे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुआवजा याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है । प्रार्थीगण 10,65,660/– रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

– आदेश –

42. अतः प्रार्थीगण माणकचंद वगैरह् की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में **10,65,660/–** (अक्षरे दस लाख पैंसठ हजार छह सौ साठ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

43. प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **10,65,660/–** (अक्षरे दस लाख पैंसठ हजार छह सौ साठ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 09.02.2024 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

44. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थीगण द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की

अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थीगण अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थीगण को जरिये बचत खाता अदा हो ।

45. इस राशि में से प्रार्थीगण के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

प्रार्थी संख्या	**03 वर्ष हेतु**	**06 वर्ष हेतु**	**कुल राशि**
प्रार्थी संख्या 01	2,50,000/–	2,50,000/–	5,00,000/–
प्रार्थी संख्या 02	2,50,000/–	2,50,000/–	5,00,000/–
कुल राशि			10,00,000/–

46. शेष राशि 65,660/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थीगण को बराबर–बराबर नकद अदा की जाए ।

47. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

48. निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Location: Balotra
Date: 2026.07.08 12:52:09 +0530